

क्र. सं.	योजना का नाम	योग्यता/पात्रता	वार्षिक आय सीमा	देय राशि/लाभ
1	अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Scheme of Post Matric Scholarship for the Scheduled Caste)	1. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र-छात्रा अनुसूचित जाति का हो। 3. छात्र-छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र-छात्रा के माता-पिता/पति-पत्नि /संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
2	अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Scheme of Post Matric Scholarship for the Scheduled Tribes)	1. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र-छात्रा अनुसूचित जन जाति का हो। 3. छात्र-छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र-छात्रा के माता-पिता/पति-पत्नि / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
3	विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Scheme of Post Matric Scholarship to the Special Backward Class)	1. छात्र-छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो। 2. छात्र-छात्रा विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जाति का हो। 3. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।	छात्र-छात्रा के माता-पिता/पति-पत्नि /संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
4	अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Scheme of Post Matric Scholarship to the Other Backward Class)	1. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र-छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं का हो। 3. छात्र-छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र-छात्रा के माता-पिता/पति-पत्नि /संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता
5	डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (EBC- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the Economically Backward Class Students - Centrally Sponsored Scheme)	1. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों। 2. छात्र-छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं का हो। 3. छात्र-छात्रा आरक्षित वर्ग की जातियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं DNTs) के अतिरिक्त सामान्य जातियों का हो। 4. छात्र-छात्रा राजकीय/ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र-छात्रा के माता-पिता/पति-पत्नि / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.00 लाख तक हो।	अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (Non-Refundable Fees) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार देय अनुरक्षण भत्ता

6	डॉ. अम्बेडकर DNTs उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (DNTs- Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship for the students for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes)	1. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र-छात्रा DNTs (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) के अतिरिक्त जातियों का हो। 3. छात्र-छात्रा राजकीय/ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत अध्ययनरत हो।	छात्र-छात्रा के माता-पिता/पति-पत्नि /संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख से कम हो।	पाठ्यक्रम के अनुसार देय केवल अनुरक्षण भत्ता (Maintenance allowance)
7	मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (Mukhya Mantri sarvjan Uchha Shiksha Chhatravriti Yojana)	1. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. छात्र-छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो। 3. छात्र-छात्रा राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो। 4. राष्ट्रीय स्तर की परिशिष्ट-अ पर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृत्ति देय होगी।	छात्र-छात्रा के माता-पिता/पति-पत्नि / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 5.00 लाख रूपये से कम हो।	केवल अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्कों (Non-Refundable Fees) का आधा अर्थात् 50 प्रतिशत